

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

3102
2

// विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....157 /

दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 16/07/2026

माननीय रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 327/गोपनीय/2026/दो-2-1/2026 जबलपुर दिनांक 03.04.2026 के द्वारा श्री संजय वर्मा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश का स्थानांतरण जिला स्थापना भोपाल होने तथा उनके स्थान पर किसी भी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8 की उपधारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 448/दो-1-1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

सरल क्रमांक 70 के पश्चात् अंकित नोट की कंडिका क्रमांक 12 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

12. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश /जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण (क्लेम प्रकरण सहित) एवं उनसे संबंधित आवेदन तथा भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर को अधिकृत किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 16/07/2026

पृष्ठांकन क्रमांक.....3548 /

दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)